फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

कविता बनाम शंकरलाल आदि

किस्म मुकदमा : **212 आर.टी. एक्ट** प्रकरण संख्या 109 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
27.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थीया की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा नगरासरी तहसील नोहर के खाता संख्या 115 / 98 के ख0न0 180 / 1 की 4.7920 हैक्ट, 187 / 1 की 2.4910 हैक्ट, 41 / 1 की 5.6140 हैक्ट कुल 12.8970 हैक्ट भूमि में से प्रार्थीया के हक हिस्सा की भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक 26.06.2024 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	
31/5/24	~~वकील वादी/प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी ने सहवन से प्रार्थनापत्र में आवश्यक तथ्य अंकित नहीं किये इसलिये नया प्रार्थनापत्र पेश करना चाहता है नया प्रार्थनापत्र पेश करने की अनुमति देते हुए प्रकरण [illegible] / यथास्थिति में नया प्रार्थनापत्र पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।~~ [signature] उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:39 IST
Reason: SelfAttested

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख